

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, डिण्डौरी
// आदेश //

क्र. / निर्वा./स्था./2013/

डिण्डौरी, दिनांक -09-2013

म.प्र.शासन विधि एवं विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग के पत्र फा.क्र.01/स्था./2013 / 346 दिनांक 25-06-2013 के अनुसार विधानसभा निर्वाचन 2013 हेतु निर्मित अस्थाई पद पर दिनांक 31-03-2014 तक के लिए निम्नानुसार आवेदको को निम्न शर्तों के अधीन उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त किया जाता है :-

क्र.	आवेदक का नाम	अस्थाई पद का नाम	वेतनमान	पदस्थापना स्थल
01.	श्री भूपत सिंह पूशाम	लेखापाल	5200-20200/2400	जिला निर्वाचन कार्यालय डिण्डौरी
02.	श्री के.एल.यादव	सहा.ग्रेड-2	5200-20200/2400	जिला निर्वाचन कार्यालय डिण्डौरी
03.	श्री सुन्दर लाल यादव	सहा.ग्रेड -03	5200-20200/1900	जिला निर्वाचन कार्यालय डिण्डौरी
04.	श्री रतन सिंह मरकाम	सहा.ग्रेड -03	5200-20200/1900	रिटर्निंग आफिसर कार्यालय डिण्डौरी
05.	श्री वीर सिंह तेकाम	सहा.ग्रेड-03	5200-20200/1900	रिटर्निंग आफिसर कार्यालय शहपुरा
06.	श्री मनीराम बघेल	भृत्य	4400-7440/1300	जिला निर्वाचन कार्यालय डिण्डौरी
07.	श्री मनदीप कुमार	भृत्य	4400-7440/1300	रिटर्निंग आफिसर कार्यालय डिण्डौरी
08.	श्री रामदास धार्वे	भृत्य	4400-7440/1300	रिटर्निंग आफिसर कार्यालय शहपुरा

शर्तें :-

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है, और दिनांक 31-03-2014 को सेवाएं स्वमेव समाप्त हो जावेगी।
2. उक्त कर्मचारियों को कार्यग्रहण करने के सात दिवस के अंदर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. नियुक्ति के दौरान दोनो पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।।
4. सिवानिवृत्त कर्मचारियों का वेतन निर्धारण करने के लिए नियुक्त किये गये वेतनमान पर न्यूनतम वेतन मे से पेशन की राशि घटाकर जो राशि आवेगी वह राशि वेतन के रूप में देय होगी। इस वेतन पर किसी प्रकार का मंहगाई भत्ता या अन्य भत्ता देय नहीं होंगे।

P.T.O.

5. पेशन पृथक से प्राप्त करने की पात्रता होगी तथा पेशन पर देय राहत की पात्रता होगी।
6. संविदा नियुक्ति के दौरान शासकीय आवास गृह के आवंटन / आधिपत्य की पात्रता नहीं होगी, उन्हें केवल पात्रतानुसार गृह भाडा भत्ता देय होगा।
7. अस्थाई शासकीय सेवकों के समान अवकाश की पात्रता होगी।
8. यात्रा भत्ता की पात्रता उसी प्रकार होगी जो कि सेवानिवृत्त के तत्काल पूर्व थी।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों पर मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 लागू होंगे।
10. संविदा नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 45 दिन तक प्रभावशील होगा। इस अवधि में यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया तो संविदा नियुक्ति का आदेश स्वतः प्रभावशून्य हो जायेगा।

उक्त अस्थाई कर्मचारियों के वेतन भत्ते का भुगतान मांग संख्या 29-न्याय प्रशासन और निर्वाचन - 2015 - निर्वाचन उपमद (2409) - 102 - निर्वाचन अधिकारी -11- वेतन भत्ते मद् के अंतर्गत किया जावेगा। "कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आदेशित"

उप जिला निर्वाचन अधिकारी
डिण्डौरी

पृ.क्र./निर्वा./स्था./2013/

264A

डिण्डौरी दिनांक 17-09-2013

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, म.प्र.शासन विधि एवं विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग भोपाल को सूचनार्थ।
2. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. भोपाल को सूचनार्थ।
3. कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) / रिटर्निंग आफिसर डिण्डौरी / शहपुरा को सूचनार्थ।
5. संबंधित श्री _____ को पालनार्थ प्रेषित।

6. MIC Diindori
7. PRO Diindori

उप जिला निर्वाचन अधिकारी
डिण्डौरी